



सर्वे त्वं पूज्यते
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)

शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली / New Delhi – 110016

Website: www.kvsangathan.nic

SPEED POST

F.11058-प्राथ.शि./2018/केविस-मु./आर०पी०एस/2271-72

दिनांक - 02.07.2018

कार्यालय - आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्राथमिक अध्यापकों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार पे बैंड:2 ₹ 9300-34800/- ग्रेड पे ₹.4800/- में चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्राथ.शि. के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि वापिस लौटाना होगी।

संबंधित प्राथ.शिक्षकों का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-FR-22 (I)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प हैं-(1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.) वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्रा०शिक्षक के विवरण निम्नानुसार है -

प्राथमिक शिक्षक (PRT)- पे बैंड:2 ₹.9300-34800/- ग्रेड पे ₹.4800/- (Level-8 as per 7th CPC)

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक	प्राथमिक शि अध्यापक का नाम	के०वि० का नाम	प्रा०शि० के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्रा०शि० के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	208	श्री सत्याब्रता पॉल SH SATYABRATA PAL PRT	बेंगदूबी BENG DUBI I	23.07.1975	23.07.1987	28-05-2002*
2	1992	श्रीमती गुरजीत कौर MRS GURJEET KAUR PRT	एफ आर आई देहरादून FRI D'DUN	26-07-1980	26-07-1992	26-07-2004
3	3079	श्रीमती सुजाना सिंह SMT SUZANA SINGH, PRT	गोल मार्केट GOLE MARKET	30.11.1981	30.11.1993	30-11-2005

4	5280	श्री एन के सिन्हा SH N K SINHA (PRT) NOW TGT	नं0 2 धनबाद NO 2 DHANBAD	11.10.1984	01.01.1996	11.10.2008
5	8061	श्रीमती एस बेगम SMT S BEGUM PRT	आर्मी बैरकपुर ARMY BARRACKPORE	16.02.1987	16.02.1999	16-02-2011
6	8860	श्रीमती अर्चना बाजपेयी SMT ARCHNA BAJPAI PRT	नं0 3 चकेरी कानपुर NO 3 CHAKERI KANPUR	31.10.1987	31.10.1999	03-01-2016*
7	9750	श्रीमती जिले हुमा SMT ZILE HUMA PRT	नं0 3 चकेरी कानपुर NO 3 CHAKERI KANPUR	26.10.1988	26.10.2000	03-01-2016*
8	10818	श्रीमती अंजू लता सिंह SMT ANJU LATA SINGH PRT	नं0 3 चकेरी कानपुर NO 3 CHAKERI KANPUR	31.01.1990	31.01.2002	03-01-2016*

1/21 01/21
(ताजुद्दीन शेक)

सहायक आयुक्त (आर पी एस)

प्रतिलिपि प्रेषित -

1 उपायुक्त, के.वि.सं. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ एवं उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित प्राचार्य एवं शिक्षक को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित करें।

2 प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को प्रार्थना की जाती है कि वे -

क- चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।

ख - संबंधित शिक्षक से प्रोफोर्मा में वचनबंध - तीन प्रति- ले ली जाएं जिसकी एक प्रति उसके सेवा-पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत-मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।

ग-इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और (2) संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो।

घ-अन्य विवरण जैसे पदभार ग्रहण तिथि/वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं।

3. ईडीपी सैल upload the order in the web site of KVS

मुन्ना

रह
24/11/18